श्रीमान

जिला भिंड मध्य प्रदेश

विषय:- प्रार्थी के लिखित आवेदन अनुसार रिपोर्ट दर्ज किए जाने बाबत

श्रीमान जी प्रार्थी का आवेदन पत्र निम्न अनुसारप्रस्तुत है -

1. यह की प्रार्थी ग्राम सिकरी चिरौली पुलिस थाना असबार जिला भिंड का निवासी है। एवं प्रार्थी की दो पुत्री आशिक शर्मा एवं राधिका शर्मा है जिनकी जन्मतिथि जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार 05.08.2010 एवं 07.12.2011 होकर नाबालिक है। *(जन्म प्रमाण पत्र संलग्न है)*
2. यहकि प्रार्थी की दो नाबालिक पुत्री आशिक शर्मा उम्र 15 वर्ष एवं राधिका शर्मा @ आरती शर्मा 14 वर्ष है, जिनका विवाह गलत तरीके से लखन शर्मापुत्र चीनू शर्मा एवं अजय शर्मा पुत्र लखन शर्मा ने राकेश माहाते उर्फ राकेश शर्मा पुत्र रामानंद शर्मा निवासी ग्राम मैहरा बुजरुक थाना लहार एवं अवधेश शर्मा पुत्र मिश्री लाल निवासी नानपुर थाना लहार ने मिलकर षड्यंत्रकारी योजना बनाकर जबरदस्तीउ पर्युक्त दोनों नाबालिक लड़कियों को बेचकर उनका विवाह कल्लन पाराशर पुत्र श्री रामसरुप पाराशर निवासी समथर तहसील मोठ जिला झांसी एवं शिवा उपाध्याय पुत्र रिशाल उपाध्याय निवासी ग्राम मेहरा बुजुर्ग तहसील लहार जिला भिंड के साथ दिनांक 25/11/2024 को मिर्जा मैरिज गार्डन बरहा रोड से कर दिया है
3. यह की प्रार्थी ने उपर्युक्त घटनाके बारे में दिनांक 5.11.2024 कलेक्टर महोदय जिला भिंड एवं एसडीम महोदय तहसील लहारको आवेदन के द्वाराघटना के बारे में अवगत कराया था। *(आवेदन पत्र संलग्न है)*
4. यह है की उपयुक्त आवेदन के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने उपयुक्त अवैध शादी को रुकवाने का प्रार्थी को मौखिक रूप से आश्वासन दिया था परंतु लखन शर्मा , अजय शर्मा, राकेश महाते उर्फ राकेश शर्मा एवं अवधेश पाराशर ने योजना बनाकर उपयुक्त लड़कियों के आधार कार्ड में लड़कियों की उम्र की जन्मतिथिको कूटरचना कर फेरबदल कर दोनों लड़कियों का विवाह 21.11.2024 को मिर्जा गार्डन बरहा रोड फार्मेसी कॉलेज के पास लहरसे कर दिया।
5. यह की उपयुक्त सभी लोगों ने पैसों के लालच में षडयंत्र पूर्वक प्रार्थी की दोनों नाबालिकबच्चियों कोबेचकर उनका विवाह शिवा उपाध्याय एवं कल्लन पाराशर के साथ कर दिया है।

6. यह की प्रार्थी ने मिर्जा गार्डन के संचालक से कहा की आपके गार्डन में कैमरे लगे हुए हैं आप शादी की सीसीटीवीफुटेज मुझे दे दीजिए तो गार्डन संचालक ने प्रार्थी के साथ मारपीट एवं अभद्र व्यवहार कर भगा दिया एवं सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर दिया।

7. यहकि प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियरमें W.P. 7321/2025 दायर की थी जिसकी ऑर्डर दिनांक 27/02/2025 को माननीय उच्च न्यायालय ने प्रार्थी को यह स्वतंत्रता प्रदान की थी कि प्रार्थी कानून के अनुसार अपने अन्य उपाय को आगे बढ़ाए।

8. यह कि आरोपियों द्वारा निम्नलिखित धाराओं का उल्लगनकरना दर्शित होता है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (The Prohibition of Child Marriage Act, 2006)।

धारा 3: बाल विवाह को अवैध और शून्य घोषित किया जाता है।

धारा 9: नाबालिग के विवाह में संलिप्त व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है।

धारा 11: विवाह कराने वालों पर दंड लगाया जा सकता है।

भारतीय दंड संहिता (IPC)

BNS धारा 136 (नाबालिग लड़की को किसी भी अवैध उद्देश्य से बहलाना-फुसलाना) नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर शादी या अन्य कार्यों के लिए ले जाना।

BNS धारा 159: मानव तस्करी, जिसमें किसी व्यक्ति को खरीदना-बेचना या जबरन विवाह में धकेलना आता है।

BNS धारा 61: आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए।

BNS धारा 318 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी)

BNS धारा 320 (जाली दस्तावेज का उपयोग करना)

जुवेनाइलजस्टिस (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015

धारा 75: बच्चों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ सख्त दंड।

धारा 81: बच्चों की तस्करी या उन्हें बेचने के लिए।

संविधानिक अधिकारों का हनन

अनुच्छेद 21: जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार।

अनुच्छेद 14: समानता का अधिकार।

अनुच्छेद 39(f): बच्चों के शोषण से रक्षा का निर्देश

9. यह की प्रार्थी की दोनों बच्चियों नाबालिक हैं इसलिए प्रार्थी की दोनों बच्चियों का जल्द से जल्द पता लगाकर एवं उनका मेडिकल करा कर प्रार्थी को सौंप दिया जावे एवं उपयुक्त सभी लोगों का कृत गंभीर अपराधों से जुड़ा हुआ है इसलिए आरोपियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर निम्न धाराओं में कार्रवाई की जावे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 136, 159, 61, 317, 318, 320, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, एवं जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम, 2015 के तहत कठोर कार्रवाई की जाए।

प्रार्थी

रामप्रकाश शर्मा

दिनांक 7697451182

9826370243

राम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री चीनू शर्मा

निवासी ग्राम सिकरी चिरौली

पुलिस थाना असवार जिला भिंड म.प्र.

(9)

S.No. 1
क्रमांक 1

FORM 5
प्रपत्र 5

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
मध्य प्रदेश शासन
DEPARTMENT OF PLANNING, ECONOMICS & STATISTICS
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
DISTRICT HOSPITAL BHIND
जिला अस्पताल, भिंड

BIRTH CERTIFICATE

जन्म प्रमाण-पत्र

(ISSUED UNDER SECTION 12/17 OF THE REGISTRATION OF BIRTHS & DEATHS ACT, 1969 AND RULE 8/13 OF THE MADHYA PRADESH REGISTRATION OF BIRTHS & DEATHS RULES 1999.)

(जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12 / 17 तथा मध्य प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1999 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया गया)

THIS IS TO CERTIFY THAT THE FOLLOWING INFORMATION HAS BEEN TAKEN FROM THE ORIGINAL RECORD OF BIRTH WHICH IS THE REGISTER FOR DISTRICT HOSPITAL BHIND OF TAHSIL/BLOCK BHIND OF DISTRICT BHIND OF STATE/UNION TERRITORY MADHYA PRADESH, INDIA.

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना जन्म के मूल अभिलेख से ली गई है जो कि जिला अस्पताल, भिंड तहसील भिंड जिला भिंड राज्य/संघ प्रदेश मध्य प्रदेश, भारत के रजिस्टर में उल्लिखित है।

NAME / नाम : ASHIKA / अशिका

SEX / लिंग : FEMALE / महिला

AADHAAR NUMBER / आधार संख्या:

DATE OF BIRTH / जन्म तिथि :
05-08-2010
FIVE -AUGUST-TWO THOUSAND TEN

PLACE OF BIRTH / जन्म स्थान:
DISTRICT HOSPITAL BHIND / जिला अस्पताल भिंड

NAME OF MOTHER / माता का नाम:
SONA DEVI / सोना देवी

NAME OF FATHER / पिता का नाम:
RAMPRAKASH SHARMA / रामप्रकाश शर्मा

AADHAAR NUMBER OF MOTHER / आधार संख्या

AADHAAR NUMBER OF FATHER / आधार संख्या

ADDRESS OF PARENTS AT THE TIME OF BIRTH OF THE CHILD / बच्चे के जन्म के समय माता-पिता का पता:
SIKARI ,CHIRULI LAHAR BHIND MADHYA PRADESH 477446 / सिकरी, चिरुली लहार भिंड मध्य प्रदेश 477446.

PERMANENT ADDRESS OF PARENTS / माता पिता के स्थायी पता
SIKARI , CHIRULI LAHAR BHIND MADHYA PRADESH 477446 / सिकरी, चिरुली लहार भिंड मध्य प्रदेश 477446

REGISTRATION NUMBER / पंजीकरण संख्या :
B20240956347001763

DATE OF REGISTRATION / पंजीकरण तिथि
04-11-2024

REMARKS (IF ANY) / टिप्पणी (यदि कोई हो):

DATE OF ISSUE / जारी करने की तिथि :
04-11-2024

Updated On : 04-11-24 02:27:21

REGISTRAR (BIRTH & DEATH) CHC BHIND

This QR code can be used to check the authenticity of the certificate.

SIGNATURE OF ISSUING AUTHORITY / प्राधिकारी के हस्ताक्षर :
Registrar (BIRTH & DEATH)
रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)
DISTRICT HOSPITAL BHIND
जिला अस्पताल, भिंड

"ENSURE REGISTRATION OF EVERY BIRTH AND DEATH / प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें "

True copy

Annexure P/2 (13)

(30)

[illegible] शा० प्रा० वि० सिकरी, वि०खण्ड लहार, जिला [illegible]

———X———X———

प्रमाणीकरण

दिनांक [illegible]

05/12/

[illegible] के अधिकार तहत मांगी गयी जानकारी के [illegible] अंशिका पुत्री श्री रामप्रकाश एवं राधा पुत्री [illegible] की जन्मतिथि भर्ती रजिस्टर के अनुसार [illegible] अनुसार है -

पिता का नाम	माता का नाम	जन्मतिथि
श्री रामप्रकाश	श्रीमती सोना	10/08/2009
श्री रामप्रकाश	श्रीमती सोना	21/10/2010

Head Master
G.P.S. Sekari Kariyawali (Lahar)
Block Lahar Distt. Bhind (M.P.)
Dise Code 23030516901

NOTARY GOVT. OF M.P.

।। श्री गणेशाय नमः।।

निमंत्रण-पत्र

श्रीमान पं.श्री. रामप्रकाश दुबे पं.श्री ओमप्रकाश दुबे

परमपिता परमात्मा की असीम अनुकम्पा से हमारे यहाँ–

सौ.कॉं. आशिका संग चि. कल्लन

सुपुत्री–श्री रामप्रकाश वैध
निवासी–सिकरी (करियावली)
तह. लहार जिला भिण्ड (म.प्र.)

सुपुत्र–श्री रामस्वरूप पाराशर
निवासी–समथर तह. मोंठ
जिला झांसी (उ.प्र.)

सौ.कॉं. आरती संग चि. शिवा

सुपुत्री–श्री रामप्रकाश वैध
निवासी–सिकरी (करियावली)
तह. लहार जिला भिण्ड (म.प्र.)

सुपुत्र–श्री रिसाल उपाध्याय
निवासी–ग्राम मेहरा बुजुर्ग
तह. लहार जिला भिण्ड (म.प्र.)

के शुभ परिणयोत्सव

की मधुर बेला पर पधारकर नव-युगल को शुभाशीर्वाद प्रदान कर हमें अनुग्रहीत करें।

॥ मांगलिक कार्यक्रम ॥

मण्डप- दिनांक 21–11–2024 दिन गुरूवार

टीका एवं प्रीतिभोज- दिनांक 22–11–2024 दिन शुक्रवार

शुभ विदाई - दिनांक 22–11–2024 दिन शनिवार

प्रीतिभोज समय- सायं 4 बजे से आपके आगमन तक।

बाल आकांक्षा : हमारी बुआ/दीदी की शादी में जलूल-जलूल आना-
सोम्या, आराध्या/जानवी, पलक

दर्शनाभिलाषी :
कल्लू, राजेन्द्र, अनिल, अजय,
भतीजे-कृष्णा, उमंग, जयवर्धन

विनीत :
लखन, मुन्ना, गिरजाशंकर,
एवं समस्त वैध परिवार
मो. 8815237041

जीजाजी : प्रदीप दूरबार, सुनील दुबे, विकास दुबे,
संतोष उपाध्याय, बन्टी उपाध्याय

प्रीतिभोज स्थल :

मिर्जा मैरिज गार्डन बरहा रोड, फार्मेसी कॉलेज के पास
लहार, जिला भिण्ड (म.प्र.)

KGN प्रिंटिंग प्रेस लहार

T.C.

(18)

श्रीमान् ......कलैक्टर महोदय
......
......जिला (भिण्ड)

नाबालिगान पुत्रियां अंशिका एवं राधिका की फर्जी रूप से उम्र आधार कार्ड में बढ़वाकर लखन पुत्र चिनू एवं अजय पुत्र लखन द्वारा उनकी पैसे लेकर शादियां दिनांक 22.11.2024 को किये जाने से रुकवाये जाने बावत्।

श्रीमान जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन निम्न प्रकार है-

प्रार्थी की पुत्री अंशिका की जन्मतिथि 05.08.2010 है एवं प्रार्थी की पुत्री राधिका की जन्मतिथि 07.12.2011 है दोनो ही पुत्रियां नाबालिग हैं जिन्हे लखन पुत्र चिनू उनका पुत्र अजय पुत्र लखन ग्राम सिकरी करियावली थाना असवार में अपने पास रखे है एवं ... दोनो को भी अपने असम्यक असर मे अपने पास रखे है प्रार्थी को ... ... है प्रार्थी विवश होकर ग्राम टोला में अपनी बहन के घर रह रहा है।

... उक्त दोनों नाबालिग पुत्रियों में पुत्री आशिका की शादी ग्राम मेहरा में ... राधिका की शादी समथर में लखन एवं अजय पैसा लेकर कर रहे हैं दोनो ... नाबालिग हैं लखन ने बेईमानी पूर्वक पैसे हडपने के लिए उक्त दोनों पुत्रियों की ... आधार कार्ड में गलत रूप से बडवाली है जो एक आपराधिक कृत्य है। प्रार्थी की पत्नी ... है जो कि लखन के असम्यक असर में हैं उक्त नाबालिगान की शादी ... उचित है।

अतः आवेदन पत्र पेश कर प्रार्थना है कि उक्त दोनो नाबालिग पुत्रियों की शादी तत्काल रुकवाये जाने की कृपा की जावे।

दिनांक 05.11.2024

प्रार्थी

रामप्रकाश पुत्र चिनू निवासी ग्राम सिकरी करियावली थाना असवार जिला भिण्ड म0प्र0

रामप्रकाश शर्मा

मो नं 7987323769

NOTARY

(19)

श्रीमान् S.D.M. महोदय

लहार तह. लहार जिला भिण्ड (म.प्र.)

[illegible] पुत्रियां अंशिका एवं राधिका की फर्जी रूप से उम्र आधार कार्ड [illegible] लखन पुत्र चिनू एवं अजय पुत्र लखन द्वारा उनकी पैसे लेकर [illegible] दिनांक 22.11.2024 को किये जाने से रुकवाये जाने बावत्।

TC
CDPO / T.I. Ashwai
पत्र के क्रम में CDPO [illegible] लहार आवश्यक जांच पड़ताल कर [illegible] पुलिस बल के सहयोग से लहार कार्य [illegible]
SDM
05/11/2024
S.D.M.
LAHAR (BHIND)

[illegible] निवेदन निम्न प्रकार है-

[illegible] की जन्मतिथि 05.08.2010 है एवं प्रार्थी की पुत्री [illegible] 2011 है दोनो ही पुत्रियां नाबालिग है जिन्हे लखन पुत्र चिनू [illegible] ग्राम सिकरी करियावली थाना असवार मे अपने पास रखे है [illegible] भी अपने असम्यक असर मे अपने पास रखे है प्रार्थी की [illegible] विवश होकर ग्राम टोला मे अपनी बहन के घर रह रहा है। [illegible] दोनो नाबालिग पुत्रियो मे पुत्री आशिका की शादी ग्राम मेहरा [illegible] की शादी समथर मे लखन एवं अजय पैसा लेकर कर रहे है दोनो [illegible] बेईमानी पूर्वक पैसे हडपने के लिए उक्त दोनो पुत्रियो का [illegible] रूप से बढवाली है जो एक आपराधिक कृत्य है। प्रार्थी की [illegible] कि लखन के असम्यक असर मे है उक्त नाबालिगान की शादी [illegible] है। शादी की तारीख 22.11.24 नियत है

अतः आवेदन पत्र पेश कर प्रार्थना है कि उक्त दोनो [illegible] शादी [illegible] रुकवाये जाने की कृपा की जावे।

प्रार्थी

[illegible] पुत्र चिनू निवासी ग्राम सिकरी करियावली
थाना असवार जिला भिण्ड म0प्र0

[illegible] शर्मा

NOTARY

[illegible] 12.24

T.C. [illegible]